

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 09/2024

जीसीएमएस नं. : 2024/80

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :-

श्री योगेश / नारायण लाल गामोट, प्रोपराईटर पंकज
रेस्टोरेंट गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री राजेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता


निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 30-01-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को पंकज रेस्टोरेंट गनोडा की जांच श्री देवशंकर व्यास रेस्टोरेंट कार्मिक की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। श्री देवशंकर द्वारा बताया गया कि फर्म के प्रोपराईटर श्री योगेश / नारायण लाल गामोट निवासी गनोडा है। मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाना पाया गया एवं 3 घरेलू सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है-

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किग्रा. में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | एचपी. गैस | 25725 S | 15.400 | 15.400 | 0.000 |
| 2 | एचपी. गैस | 10915 | 22.000 | 16.200 | 5.800 |
| 3 | एचपी. गैस | 293456 P | 15.900 | 15.700 | 0.200 |
| 4 | एचपी. गैस | 663813 | 15.200 | 15.200 | 0.000 |



जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)



श्री देवशंकर व्यास द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलेटर, रबर ट्यूब, एवं सिंगल गैस भट्टा को जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री निरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं दिनांक 30.01.2025 को जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि जप्तशुदा सिलेण्डर मेरे नहीं थे, गैस भरवाने हेतु अनजान व्यक्ति द्वारा दुकान पर रखा था। मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से गैस सिलेण्डर का कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है एवं अपनी दुकान में व्यवसायिक कार्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाता है। इस हेतु मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए जब्तशुदा 4 घरेलू सिलेण्डर को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार से ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा नहीं की जायेगी। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस प्रस्तुत की।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को पंकज रेस्टोरेंट गनोडा की जांच श्री देवशंकर व्यास रेस्टोरेंट कार्मिक की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। श्री देवशंकर द्वारा बताया गया कि फर्म के प्रोपराईटर श्री योगेश/ नारायण लाल गमोट निवासी गनोडा है। मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाना पाया गया एवं 3 घरेलू सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना


जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पाया गया। श्री देवशंकर व्यास द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा 3 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्युलेटर, रबर ट्यूब, एवं सिंगल गैस भट्टा को जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री निरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्युलेटर, रबर ट्यूब, एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 04 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के फर्म के कार्मिक के श्री देवशंकर व्यास के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भण्डारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्युलेटर, रबर ट्यूब, एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)